न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव सैनी

विविध प्रार्थना पत्र – 24/23 तारीख रज0- 21/11/23

1. सरकार जरिये अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग खण्ड सवाई माधोपुर। ——प्रार्थी

बनाम

1. टुण्डाराम मीना ,संवेदक, निवासी बामनवास पट्टी खुर्द। —— अप्रार्थी

उपस्थित
1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी पक्ष
2. श्री हनुमान शरण शर्मा – अप्रार्थी पक्ष

निर्णय दिनांक–28.11.2024

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग खण्ड सवाई माधोपुर द्वारा पी0डी0आर एक्ट के तहत कार्यवाही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड सवाई माधोपुर ने अपने पत्रांक 6583 दिनांक 26.12.2011 द्वारा निविदा सूचना संख्या 2/2011–12 आमंत्रित की गई थी। जिसके अनुसार 2 कार्यो की निविदा क्रमशः रिहेबिलिटेशन ऑफ नाग तलाई बांध व नहर एवं रिहेबिलिटेशन ऑफ चंदापुरा बांध व नहर आमत्रित की गई थी। उक्त निविदा की वित्तीय बिड दिनांक 17.01.2012 को खोली गई। जिसके क्रम सं0 2 पर अंकित कार्य रिहेबिलिटेशन ऑफ चंदापुरा बांध व नहर के विरूद्ध न्यूनतम दर मैसर्स टुण्डाराम मीणा संवेदक की बी0एस0आर से 20.50 प्रतिशत कम राशि रू0 75,25,814.00 (जी –शिडयूल राशि रू0 94,66,433.00) प्राप्त हुई सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति पश्चात् प्रार्थी के कार्यालय के पत्रांक 7954–60 दिनांक 17.02.2012 द्वारा न्यूनतम दरदाता मैसर्स टुण्डाराम मीना सवेंदक के पक्ष में जी–शिड्यूल राशि रू0 94,66,432.92 के विरूद्ध 20.50 प्रतिशत कम दर से कुल राशि रू0 75,25,814.00 का कार्यादेश जारी किया गया, जिसके अनुसार रिहेबिलिटेशन ऑफ डैम एण्ड कैनाल ऑफ चन्दापुरा माईनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जिला सवाई माधोपुर कार्य फर्म को दिनांक 28.02.2012 प्रारम्भ कर दिनांक 27.02.2013 तक पूर्ण करना निर्धारित किया था। सवेंदक को अनुबन्ध के अनुसार प्रगति बनाए रखने हेतु समय–समय प्रार्थी के कार्यालय के पत्रांक 1668–69 दिनांक 25.06.2012, 3895–97 दिनांक 03.10.2012, 6580–82 दिनांक 28.01.2013 द्वारा नोटिस जारी करते हुए फर्म को सूचित किया गया था कि कार्य की प्रगति बढाते हुये कार्य को पूर्ण करें अन्यथा फर्म के विरूद्ध अनुबन्ध की धारा 2 एवं 3 सी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। परन्तु फर्म द्वारा ना ही कार्य की प्रगति बढाई गई ना ही कार्य पूर्ण किया गया। उक्त क्रम में प्रार्थी के कार्यालय के पत्रांक 6785–87 दिनांक 07.02.2013 द्वारा फर्म को सक्षम स्तर से अनुमोदित (कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत जयपुर के पत्रांक 866 दिनांक 30.01.2013) अंतिम नोटिस जारी किया गया। जिसके अनुसार फर्म को अन्तिम अवसर देते हुए 15 दिवस का समय कार्य पूर्ण करने हेतु दिया गया। फर्म द्वारा दिये गये समय में ना ही कार्य की प्रगति बढाई एव ना ही कार्य पूर्ण किया जिसके कारण विभाग को मजबूरन फर्म मैसर्स टुण्डाराम मीना सवेंदक के विरूद्ध अनुबंध की धारा 2 एवं 3 सी के तहत प्रकरण तैयार कर प्रार्थी के कार्यालय के पत्रांक 1638 दिनांक 27.06.2013 द्वारा कार्यालय अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत जयपुर को प्रस्तुत किये गये। कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत जयपुर के पत्रांक एफ–लेखा/जायका/जसंसजेपी/स0माधोपुर/4831–4834 दिनांक 01.07.2013 द्वारा श्री टुण्डाराम मीना (अप्रार्थी) ठेकेदार, ग्राम पोस्ट बामनवास को अनुबंध की धाराओं का स्पष्ट उल्लघंन करने का दोषी मानते हुए अनुबंध की धारा 2 के अन्तर्गत ठेकेदार के विरूद्ध शेष कार्य राशि रू0 46,59,557/–पर 10 प्रतिशत शास्ति राशि रू0

26/11/24

4,65,956/—आरोपित करते हुए अनुबन्ध की धारा 3 (सी) के अन्तर्गत ठेकेदार की लागत पर जोखिम पर शेष कार्य अन्य ऐजेन्सी से करवाने एवं धारा 2 के तहत आरोपित शास्ति का वसूल करने के निर्देश दिये गये। शेष कार्य हेतु पुनः निविदा जारी की गई। जिस क्रम में कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 3623—25 दिनांक 08.10.2014 द्वारा सवेंदक से हुई सधिवर्ता पश्चात् बी0एस0आर दर से 67.99 प्रतिशत अधिक दर स्वीकृत करते हुए कार्य मैसर्स कमलेश शर्मा के पक्ष में स्वीकृत किया। सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति के पश्चात् प्रार्थी के कार्यालय के पत्रांक 3249—57 दिनांक 09.10.2014 द्वारा न्यूनतम दरदाता मैसर्स कमलेश शर्मा जयपुर के पक्ष में जी—शिड्यूल राशि रू0 58,61,455.00 के विरूद्ध 67.99 प्रतिशत अधिक दर से कुल राशि रू0 98,46,658.00 का कार्यादेश जारी किया गया, जिसके अनुसार रिमेंनिंग वर्क ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ डैम एण्ड कैनाल ऑफ बन्दापुर माईनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जिला सवाई माधोपुर कार्य फर्म को दिनांक 19.10.2024 से प्रारम्भ कर दिनांक 30.06.2015 तक पूर्ण करना निर्धारित किया था। रिमेंनिग कार्य मैसर्स कमलेश शर्मा जयपुर के द्वारा कुल राशि रू0 84,16,705.00 का सम्पादित कर निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया। अनुबंध की धारा 3(सी) के तहत रिमेंनिग किये गये कुल राशि रू0 84,16,705.00 का सम्पादित हुआ यदि यही कार्य मूल सवेंदक मैसर्स टुण्डाराम मीना द्वारा किया जाता तो राशि रू0 39,83,142.00 में सम्पादित कर दिया जाता। इस तरह राज्य सरकार पर राशि रू0 44,33,563.00 का अधिक भार पडा है। जिसकी वसूली अनुबंध की धारा 3(सी) के तहत मूल सेंवदक श्री टुण्डाराम मीना से की जाती है। मैसर्स टुण्डाराम मीना के विरूद्ध अनुबंध की धारा 3 (सी) के तहत आरोपित राशि रू0 44,33,563 में से राशि रू0 7,94,600.00 की वसूली विभाग द्वारा फर्म के कार्यालय में जमा धरोहर राशि/अमानत राशि/कार्य के विरूद्ध रोका गई Vth डिपोजिट की राशि/**Incomplete final bill** से की जा चुकी है। शेष शास्ति राशि रू0 36,38,963.00 की वसूली की जानी है, साथ ही प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरूद्ध आरोपित बकाया शास्ति राशि रू0 36,38,963.00 की वसूली पी0डी0आर एक्ट की कार्यवाही करते हुए वसूल करने हेतु निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार (प्रार्थी पक्ष) ने प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए पर अप्रार्थी के विरूद्ध आरोपित बकाया शास्ति राशि रू0 36,38,963.00 की वसूली पी0डी0आर एक्ट की कार्यवाही करते हुए वसूल करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि उनवानी मुकदमें में अप्रार्थी टुण्डाराम ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में डी0बी0 सिविल स्पेशल अपील (रिट) नम्बर 957/2021 पेश कर रखी थी। जिसमें दिनांक 24.10.2024 को प्रार्थी की अपील स्वीकार हो गई है व उक्त मामले की सुनवाई कमेटी को करने के आदेश दिये है, साथ ही वकील अप्रार्थी ने मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के डी0बी0सिविल स्पेशल अपील (रिट) नम्बर 957/2021 निर्णय दिनांक 24.10.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए उक्त मुकदमें को सुनवाई हेतु कमेटी को भिजवाने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के डी0बी0सिविल स्पेशल अपील रिट नम्बर 957/2021 निर्णय दिनांक 24.10.2024 के अनुसार उक्त मुकदमें को सुनवाई हेतु कमेटी में भिजवाने हेतु निवेदन किया है। उक्त क्रम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2024 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय के अनुसार अपीलकर्ता को 45 दिनों की अवधि के भीतर विवाद/प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करके संबंधित समिति से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है। मा0उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में उक्त प्रार्थना पत्र

26/11/24

में अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस स्तर पर अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनः पेश करने की स्वतंत्रता देते हुए अस्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वप्रथम मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना करना सुनिश्चित करे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनः पेश करने की स्वतंत्रता देते हुए अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी